<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103005542014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—227 / 14</u> संस्थापित दिनांक—26.04.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	· :					
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।						
					आ	भेयोजन
विरुद्ध						
01—हरलाल पुत्र शि	विलाल	ढीमर	उम्र	37	साल	निवासी
सकरवारा, चंदेरी।						
						.आरोपी
राज्य द्वारा	:- %	गे सुदी	प शम	र्ग, ए	.डी.पी.	ओ.।
आरोपी द्वारा	:- 8	गी दीपव	क श्री	वास्त	ाव अधि	वेवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 21.03.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 294, 324, 341, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 323, 341, 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी पुनुआ ने दिनांक 15.01.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 14.01.14 को उसका एवं हरलाल का मुंहवाद हो गया था उसी बात की रंजिश पर से जब वह गनेश के घर के पास खडा था तब हरलाल लाठी लेकर आया और उसे मादरचोद—बहनचोद की गाली देने लगा और जब गाली देने को उससे मना किया तो आरोपी ने उसके सिर में दो लाठी मारी जिससे चोट होकर खून निकलने लगा एवं मारपीट में मुंदी चोट भी आईं। जब वह घर जाने लगा तो उसका रास्ता रोककर बोला कि अब अकेला मिलेगा तो जान से मारकर फेंक देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 25/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 324, 294, 341, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324, 323, 341, 506बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.01.14 को शाम 5 बजे के लगभग थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम सकवारा में गनेश के घर के पास फरियादी पुनुआ को असन एवं भेदन लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 पुनुआ, अ.सा. 02 गणेश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 पुनुआ ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी -80को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से विवाद हो गया था एवं धक्का-मुक्की हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने लाठी से उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने धारदार वस्तु से उसे मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 गनेश ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी हरलाल एवं पुनुआ का वाद विवाद हो गया था एवं धक्का मुक्की हो गई थी जिस पर से उसे गिरने से चोट आ गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी धारदार वस्तु से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा धारदार वस्तु से मारपीट की गई थी। इस प्रकार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि ६ ाटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी एवं आहत की धारदार वस्तु से मारपीट की गई थी।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)